न्यायालय सहायक कलक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— मृदुला शेखावत, आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या :— 32/2022

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
ओमप्रकाश वगैरा		नैनाराम वगैरा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11
सपठित धारा 151 सी॰पी॰सी॰

उपस्थिति :— वादी की ओर से श्री बी.आर.विश्नोई एडवोकेट।
प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री बेनाराम पटेल एडवोकेट।

निर्णय दिनांक :— 13/08/24

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. इस आधार का पेश किया कि वादीगण ने एक दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा मय रेकर्ड दुरस्ती इत्यादि का इस माननीय न्यायालय के समक्ष एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण का मुख्य व्यवसाय पीढीयों से कृषि एंव पशुपालन रहा है एवं वादग्रस्त जमीन बिलाडा चक सं. 1 के सरहद में खसरा सं. 697/1 रकबा 0.0243 हेक्टयर के रूप में स्थित है। जो वर्तमान में खाता सं. 32में आदर्श सांडघर हिस्सा पूर्ण पिपलिया अध्यक्ष बाणगंगा रोड बिलाडा के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। इसका उल्लेख वादीगण ने अपना वाद पत्र के पद सं. 2 में उल्लेख किया है। वादीगण ने अपना वाद पत्र के पद सं. 4 में यह भी उल्लेख किया है कि उक्त आराजी का माप व चोप कर कब्जा सार्वजनिक रूप से वार्ड नम्बर 1 के 100 घरों के मुख्यान का करवा दिया। साथ ही साथ वादग्रस्त आराजी का उपयोग दुधारू पशुओं के प्रजनन हेतु सांडघर बनाने हेतु उक्त आराजी को मिलकर चन्दा एकत्रित कर सांडघर का निर्माण करवाया जो सार्वजनिक रूप से काम में आ रहा है। वादीगण के वाद का अगर भली भांती अवलोकन किया जाता है तो स्पष्ट रोशन हो रहा है कि वादी का वाद कानूनी रूप से बाधित है वादी का वाद कानूनी रूप से बाधिक होने के कारण खारिज योग्य है। वादीगण ने अपना वाद सार्वजनिक हित के लिये प्रस्तुत किया है उक्त वाद सार्वजनित हित प्रस्तुत

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

करने से पर्वू न्यायालय में विधि द्वारा आज्ञा लेनी होती है। तत्पश्चात दावा प्रस्तुत करने के बाद सार्वजनिक रूप से स्थानिय समाचार पत्रों में न्यायालय के आदेशानुसार प्रकाशित करवाया जाना आवश्यक है परन्तु इस वाद में वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ऐसे कोई कानूनी प्रक्रीया नही अपनाई गयी है। इस कारण वादी का वाद कानूनी रूप से बाधित होने के कारण काबिज खारिज है। अगर वादी का वाद का भली भांति अवलोकन किया जाता है तो स्पष्ट रोशन हो रहा है कि वादी ने विवादित खसरा सं. 697/1 के वर्तमान खातेदार आदेश सांडघर हिस्सा पूर्ण पिपलिया आदेश बाणगंगा रोड बिलाडा को इस वाद में पक्षकार मुकदमा भी नहीं बनाया गया इस कारण वादी का वाद कानूनी रूप से बाधित है जो काबिल खारिज है। वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न हुआ है। ना ही खातेदार आदेश सांडघर हिस्सा पूर्ण पिपलिया अध्यक्ष बाणगंगा रोड बिलाडा के विरूद्ध वाद कारण कोई उल्लेख किया है ना ही खातेदार विवादित जमीन का कोई धमकी इत्यादि कोई भी नही दी है तो वाद कारण ही उत्पन्न नहीं हुआ है ना ही प्रतिवादी सं. 2 को वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का कोई नोटिस ही नहीं दिया गया है। इस कारण वादी का वाद कानूनी रूप से बाधित होने के कारण काबिल रिजेक्ट है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि इसे स्वीकार फरमाया जावे एवं वादीगण का वाद कानूनी रूप से बाधित होने के कारण खारिज फरमाया जावे अन्य उचित आदेश जो प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में पारित करना न्याय संगत हो पारित फरमाया जावें।

प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11सी.पी.सी. का वादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो जवाब इस आधार का पेश किया गया कि प्रार्थना पत्र का पद सं. 1 गलत एव भ्रामक तथ्यों पर आधारित होने से अस्वीकार है। क्योकि वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि है एंव कृषि एवं पशुपालन व्यवसाय से संबंधित है एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं उसके वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों से संबंधित है जिसे

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

विचारणीय प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है। प्रार्थना पत्र के पद सं. 2 भी गलत एवं भ्रामक तथ्यों पर आधारित होने से अस्वीकार है। क्योंकि वादग्रस्त आराजी को सार्वजनिक सम्पति का रूप विचाराधीन प्रार्थना पत्र में दर्शाया गया है एवं सार्वजनिक हित के विपरित कारित लोकबाधा अपने आप में साक्ष्य एवं तथ्यों का मिश्रण है जो कानूनी प्रश्नों के विरचन के पश्चात साक्ष्य द्वारा ही साबित किया जा सकता है इस स्टेज पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण का पोषणीय नहीं होने से काबिल ए खारिज है। प्रार्थना पत्र के पद सं. 3 भी भ्रामक तथ्यों पर आधारित होने से अस्वीकार है क्योकि विचारणीय वाद पत्र विधि सम्मत होने के साथ–साथ डेयरी एंव पशुपालन एवं पशुओं के प्रजनन का मामला मात्र साबित नहीं होता है। ऐसी परिस्थितियों में विचारणीय प्रार्थना पत्र काबिने खारिज है। क्योंकि वादीगण ने अपना वाद पत्र वादकारण उत्पन्न होने पर उचित कोर्ट फीस स्टाम्प पर अन्दर म्याद प्रतिवादीगण के विरूद्ध विधि सम्मत रूप से दो प्रतियों में फाईल किया एवं नियम 9 के उपबंधों का अनुपालना वादीगण ने पूर्णतया किया है जिसे भी प्रतिवादीगण का उक्त प्रार्थना पत्र काबिल ए खारिज है। प्रार्थना पत्र के पद सं. 4 भी गलत एवं भ्रामक तथ्यों पर आधारित होने से अस्वीकार है। क्योंकि राजस्व मूलवाद राजस्व प्रकृति का है जिसे भी वाद दायर करने में अनुमति की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। जिसे भी विचाराधीन प्रार्थना पत्र काबिल ए खारिज है। प्रार्थना पत्र के पद सं.5 मिथ्या एंव भ्रामक तथ्यों पर आधारित होने से अस्वीकार है क्येाकि वादी अपने वाद पत्र में पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने हेतु स्वतंत्र है जिसे पक्षकार बनाने हेतु बाध्य करने का कोई भी नियम सिविल प्रक्रिया संहिता में नहीं है। जिसे भी उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से काबिल ए खारिज है। प्रार्थना पत्र सं. 6 भी मिथ्या एवं भ्रामक तथ्यों पर आधारित होने से अस्वीकार है क्योकि वादी को वाद कारण विरूद्ध प्रतिवादीगण सं. 1 के तब उत्पन्न हुआ तब प्रतिवादी सं. 1 ने लालच में आकर वादग्रस्त आराजी का बैचान पोशिदातौर पर किसी अजनबी खरीददार को करने की ऐलानिया धमकी देते हुए सार्वजनिक

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

स्थान पर नजदीक ही लगवाया एवं स्वयं के टेलीफोन नम्बर भी उक्त बोर्ड पर चस्पा करवाये। जिस पर वादी ने अपनी जानकारी होने पर दिनांक 02.04.2022 को प्रतिवादी सं. 1 से समझाईश का प्रयास किया जिस पर प्रतिवादी सं. 1 ने वादीगण को कस्बा बिलाडा में ऐलानिया धमकी दी कि वादग्रस्त आराजी राष्ट्रीय राजमार्ग व डामर सडक व मिस्त्री मार्केट बिलाडा के नजदीक होने से प्रतिफल की करोडों रूपयों की राशि प्रतिवादी सं. 1 हडप कर लेगा एवं वादीगण को बेदखल कर क्रेता को कब्जा जबरन सुपुर्द कर देगा। जिसका उल्लेख एंव अभिकथन वादीगण ने विचाराधीन वाद पत्र क पद सं. 6 में भली भांति किया है एवं वादीगण को मूल वादकारण विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 उत्पन्न होने पर वाद पत्र न्यायालय श्री में विधि समत रूप से मय कोर्ट पीस अन्दर म्याद के पेश किया है जिसे भी विचाराधीन प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से काबिल ए खारिज है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर न्यायालय श्री से निवेदन है कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. मय 151 सीपीसी को खारिज फरमावें।

उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। दौराने बहस प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा वादीगण के अधिवक्ता द्वारा भी प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, वादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र व फार्म नं. 3 के साथ पेश दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे यह विदित होता है कि वादीगण ने वाद बाबत् वादग्रस्त भूमि का स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया है तथा वाद पत्र में वर्णित भूमि संस्था के रूप में काम में आ रही है। वाद पत्र में वर्णित भूमि कृषि भूमि की श्रेणी नहीं आती है। वादीगण द्वारा पत्रावली के साथ संलग्न इकरारनामा दिनांक 18.02.1976 में खसरा नम्बर का कई भी उल्लेख नहीं किया गया कि उक्त इकरारनामा किस खसरा नम्बर के संबंध में सम्पादित हुआ है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के जिस खसरा नम्बर के संबंध में अनुतोष चाहा है उसमें वादीगण व

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रतिवादीगण खातेदार नहीं है तथा वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में आदर्श सांडघर हिस्सा पूर्ण पिपलिया अध्यक्ष बाण गंगा रोड़ बिलाड़ा के नाम दर्ज है लेकिन उन्हें हस्तगत वाद में बतौर पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। तथा वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वादीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध बिनाय वाद पैदा नहीं होने व हस्तगत वादपत्र में वादीगण/प्रतिवादीगण विधिक पक्षकार न होने से वाद विधि द्वारा बाधित है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमावें। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किया गया है जिसके पैरा संख्या 3 वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 697/1 रकबा 0.0243 हैक्टेयर वादीगण की खरीदसुदा एवं कब्जासुदा भूमि जो वर्तमान में आदर्श सांडघर हिस्सा पूर्ण पिपलिया अध्यक्ष बाण गंगा रोड़ बिलाड़ा के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।'' इसी प्रकार पैरा संख्या में अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि का क्रय सार्वजनिक हित के उद्देश्य से क्रेतागण भेराराम पुत्र मोहनलाल पटेल, किशनाराम पुत्र अमेदराम जाति सीरवी, अणदाराम पुत्र उरजाराम जाति सीरवी, पुरखाराम पुत्र सुजानराम जाति सीरवी व सुराराम पुत्र खुमाराम जाति सीरवी काग के नाम से बैचान रजिस्ट्री तत्कालीन विक्रेता अमेदराम पुत्र रावतराम जाति सीरवी निवासी बिलाड़ा से निष्पादित करवाकर उक्त आराजी का तत्कालीन क्रेतागण ने दिनांक 12.01.1978 को विक्रेता से प्राप्त कर लिया गया था और पैरा संख्या 4 के अनुसार वर्तमान में वादग्रस्त भूमि सांडघर के रूप में सार्वजनिक रूप से काम ली जा रही है'' तथा पैरा संख्या 6 में वादीगण ने उल्लेख किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि को बिना अन्य सहहिस्सेदारों एवं हितबद्ध पक्षकारों की बिना अनुमति के वादग्रस्त भूमि को उच्चे दामों पर किसी अन्य अजनबी खरीददार को पोशिदा तौर बैचान करने पर आमादा है, जिसे रोका जाना जनहित व न्यायहित में आवश्यक है।'' इस प्रकार वादपत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत करने के कारणों का कहीं पर

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया तथा न ही हस्तगत वादपत्र में वादग्रस्त आराजी के वास्तविक खातेदार आदर्श सांडघर हिस्सा पूर्ण पिपलिया अध्यक्ष बाण गंगा रोड़ बिलाड़ा को बतौर पक्षकार संयोजित किया गया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 में निम्नानुसार विधिक प्रावधान है– दोषपूर्ण बेदखली के विरूद्ध व्यादेश–

> ''कोई अभिधारी, जिसकी सम्पूर्ण जोत या उसके भाग पर के अधिकार या उसके उपभोग पर उसके भू–धारक अथवा किसी अन्य द्वारा अतिचार किया गया हो या अतिचार किये जाने का भय हो, शाश्वत व्यादेश के लिए वाद ला सकेगा।''

अतः केवल एक अभिधारी ही इस धारा के अधीन शाश्वत व्यादेश के लिए वाद ला सकता है। वादपत्र के पैरा संख्या 02 में वादीगण ने अंकित किया है कि ''वादग्रस्त शाश्वत व्यादेश खसरा नम्बर 697/1 रकबा 0.0243 हैक्टेयर वादीगण की खरीदसुदा एवं कब्जासुदा भूमि जो वर्तमान में आदर्श सांडघर हिस्सा पूर्ण पिपलिया अध्यक्ष बाण गंगा रोड बिलाड़ा के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।'' तथा वाद–पत्र के अनुतोष का अवलोकन किया गया जिसमें वादीगण द्वारा वाद–पत्र में यह अंकित किया है कि वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध स्थायी निशेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी फरमाई जावे कि बिलाड़ा चक नम्बर 1 के खसरा नम्बर 697/1 रकबा 0.0243 हैक्टेयर का बेचान/हस्तान्तरण किसी अन्य अजनबी खरीददार को भविष्य में नहीं करें व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा साथ ही वादपत्र में वादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा कहीं भी यह कथन नहीं किया है कि वें और प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि के अभिधारी है। वाद–पत्र के अवलोकन से यह स्पश्ट है कि वादीगण द्वारा अपने वाद–पत्र में प्रतिवादीगण के वादग्रस्त भूमि के खातेदार न होने एवं स्वयं के खातेदार न होने के तथ्य को स्वीकार किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में विवादित भूमि के खरीदसुदा एवं कब्जासुदा भूमि होने से अपने हक अधिकार होने के कथन

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

किये है परन्तु वादग्रस्त भूमि में घोषणा के संबंध में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

अतः हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी के अभिधारी न होने के कारण इनके द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पोषणीय नहीं होने एवं विधि द्वारा वर्जित होने के साथ–साथ उक्त वाद में वाद–कारण भी उत्पन्न नहीं होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना विधि संगत एवं उचित समझते है।

–:: आदेश::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सं. 1 अन्तर्गत आदश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। वाद–पत्र वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पोषणीय नहीं होने एवं विधि द्वारा वर्जित होने के साथ–साथ वाद–कारण भी उत्पन्न नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 13/08/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा